कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक / देहरादून, जुलाई, 2012

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः- उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 का सम्पूर्ण सैट पुनः उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- शासन की पत्र संख्या-1253/X-2-2012-21(13)/2011 दि0 04.07.2012.

महोदय,

शासन के संदर्भित पत्र से प्राप्त उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 का सम्पूर्ण सैट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया प्रमुख वन संरक्षक महोदय के दि0 23.05.2012. के निर्देशानुसार नियमावली की 1000 प्रति या छपवाने का कष्ट करें।

संलग्नः-यथोपरि

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक,(प्रशासन)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी आई0टी0सैल, को इस कार्यालय की पत्र संख्या-क-2944/8-1(3) दि0 11.06.2012 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के सम्पूर्ण सैट को वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः-यथोपरि।

मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक जुलाई, 2012

विषयः- उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 का सम्पूर्ण सैट पुनः उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-क-3062/8-1(3) दिनांक 28 जून, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उपरोक्त पत्र द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 का सम्पूर्ण सैट की एक प्रति पुनः संलग्न करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक मई, 2012

विषयः उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या क-2269/8-1(3) दिनांक 08 अप्रैल, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उपरोक्त सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 41, 42, 45, 51, 52 एवं 76 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर समस्त आदेशों और अधिसूचनाओं को अधिकमित करते हुए बनायी गयी **''उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012''** की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। कि इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के अभिवहन के विनियमन हेतु वर्तमान में प्रचलित ''उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमाली, 1978'' के स्थान पर **''उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012''** के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार सूचीबद्व हैः-

क्र0सं0	उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 का संगत नियम	विषय	प्रख्यापित की जा रही नियमावली में निर्धारित प्राविधान/देय शुल्क
1	2	3	4
1	**नियम-5**	**<u>विभिन्न श्रेणी के पास के लिए देय फीस</u>** (I) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी प्रति लारी	**निर्धारित देय शुल्क** रू0 50 प्रति टन।
		(II) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी	रू0 25 प्रति गाड़ी।
		(III) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊंट	रू0 12.50 प्रति ऊंट।

क्रमशः 2

		(IV) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति टट्टू	रू0 5 प्रति टट्टू।
		(V) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	रू0 2.50 प्रति सिर बोझ। **टिप्पणीः- लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध में सुसंगत अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।**
2	**नियम-8**	अभिवहन पास पर मुद्रित या लिखित मार्ग और अवधि में परिवर्तन के लिए सक्षम अधिकारी	वन क्षेत्राधिकारी
3	**नियम-9**	अभिवहन पास के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जमा करायी जाने वाली प्रतिभूति। नियम 9(2)	**इस प्रावधान को प्रस्तावित नियमावली में नही रखा गया है।**
4	**नियम-18(3)**	**<u>सम्पत्ति चिन्हों को रजिस्ट्रीकरण</u>** सम्पत्ति चिन्हों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष ऐसी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क।	**रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क।** रू0 200/- प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से
5	**नियम-23**	**<u>विदेश पास के प्रपत्रों या विदेशी सम्पत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण</u>** विदेशी पास के रजिस्ट्रीकरण के लिए किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष ऐसी प्रत्यके रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क ।	**रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क** रू0 5000/- प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से
6	**नियम-28(1)**	नियमावली के उपबन्धों के उलंघन के लिए शास्ति	दो वर्ष का करावास या रू0 10000/- जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्राविधान
7	**नियम-28(2)**	यदि अपराध सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व किया गया हो अथवा अपराध की पुनरावृत्ति की गयी हो, तो शास्ति	दो वर्ष का कारावास या रू0 50000/- जुर्माना, किन्तु जो रू0 10000/- से कम नहीं होगा अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्राविधान

क्रमशः 3

8	**नियम-31(1)**	**<u>फीस का उद्ग्रहण</u>** इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने या प्रवाहित करने के परिप्रेक्ष्य में इमारती लकड़ी	**रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क** प्रति लठ्ठा या प्रति टुकड़ा शुल्क
		के प्रत्येक लठ्ठे या टुकड़े के लिए देय शुल्क। (i) 1 मीटर तक (ii) 1 मीटर से अधिक और 2 मीटर तक (iii) 2 मीटर से अधिक और 3 मीटर तक (iv) 3 मीटर से अधिक	 रू0 5/- रू0 10/- रू0 15/- रू0 20/-
9	**नियम-33(1)**	निरीक्षण करने की शक्ति	वन आरक्षी के पद से अनिम्न कोई वन अधिकारी/ पदाधिकारी तथा सब इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी या कानूनगी के पद से अनिम्न कोई राजस्व अधिकारी
10	**नियम-36(1)**	**चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस** प्रत्येक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए देय शुल्क।	**रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्धारित शुल्क** रू0 1000/- प्रति चिन्ह प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से
11	**नियम-40**	अध्याय विशेष में दिये गये नियमों के उपबन्धों का उलंघन हेतु शास्ति	दो वर्ष का कारावास या रू0 10000/- का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान तथा यदि अपराध सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व किया गया हो, अथवा द्वितीय या अनुवर्ती अपराध किये जाने की स्थिति में अथवा विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात अपराध किया गया हो, तो दो वर्ष का कारावास या रू0 50000/- जुर्माना परन्तु जो रू0 10000/- से कम नही होगा या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान
12	**नियम-41**	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-45 के प्रयोजनार्थ बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी का संग्रह किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रों का निर्धारण	उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है

क्रमशः 4

13	**नियम-48**	अध्याय विशेष में दिये गये नियमों के उपबन्धों का उलंघन हेतु शास्ति	दो वर्ष का कारावास या रू0 10000/- का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- संयुक्त निदेशक, लिथो प्रेस, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि **''उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012''** की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रजी में) को आगामी असाधारण राजपत्र (गजट) में प्रकाशित करायें एवं इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्याः / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मत्रालय, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 काॅम्पलेक्श, लोदी रोड़, नई दिल्ली -110011.
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
10. पुलिस, महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. समस्त, मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
14. समस्त, वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
15. समस्त, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशंत पटनायक)
अपर सचिव,

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 819/ग-2-2012-21(13)/20121
देहरादूनः दिनांक: 18 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1927) की धारा 41, 42, 45, 51, 52 एवं 78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करे और इस विषय पर समस्त आदेशों और अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थातः-

उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012

{भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42, 45, 51, 52 एवं 76 के अधीन}

अध्याय-एक
प्रारम्भिकी

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः-
(क) ''अधिनियम'' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 अभिप्रेत है,
(ख) ''पास'' से अभिवहन पास अभिप्रेत है,
(ग) ''वन उपज'' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (घ) में परिभाषित वन उपज अभिप्रेत है,
(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

अध्याय-दो
भू-मार्ग से इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन

पास द्वारा वन उपज के अभिवहन का विनियम

3. कोई वन उपज, पास जारी करने के लिए अधिकृत वन विभाग के किसी अधिकारी या उसके द्वारा या इस नियमावली के अधीन सम्यक् रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट प्रकार में अभिवहन पास के बिना और ऐसे पास में विनिर्दिष्ट

मार्गो से भिन्न किसी मार्ग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में/से/के भीतर स्थानान्तरित नही होगी:

परन्तु यह कि निम्नलिखित के स्थानान्तरण के लिए किसी अभिवहन पास की अपेक्षा नही की जायेगी-

(क) कोई वन उपज, किसी व्यक्ति द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये विशेषाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त अधिकार का प्रयोग करे उस भाग की सीमा के भीतर, जिसमें ऐसी उपज पैदा हुई है, सद्भावपूर्वक अपने उपयोग के लिए स्थानान्तरित की जा रही हो,

(ख) वन विभाग द्वारा प्रबन्धित वन के ठेकेदार या अभिकरण उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित नही होगा, उस स्थिति में स्थानान्तरण का विनियमन विक्रय की सुसंगत शर्तो और क्रेता द्वारा निषपादित तदनुरूप करार विलेख के निबन्धनों द्वारा किया जायेगा,

(ग) ऐसी वन उपज, जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में जारी विज्ञप्ति के माध्यम से इस नियमावली के प्रभाव से छूट प्रदान की गई है।

पास जारी करने वाले अधिकारी और व्यक्ति

4.(1) इस नियमावली के अधीन निम्नलिखित अधिकारी और व्यक्ति पास जारी करने के लिए सशक्त होंगे-

(क) उस वन उपज के लिए जो सरकार से सम्बन्धित हो या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन न हो, के लिए वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी, जो वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत हो;

(ख) वन उपज, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व के अधीन हो, के लिए ऐसे व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, जो प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत हो;

परन्तु यह कि -

(एक) कोई व्यक्ति, जो अभिवहन पास प्राप्त करना चाहता है या उपर्युक्त उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन पास जारी करने के लिये प्राधिकृत होना चाहता है, **अनुसूची ''ख''** में विनिर्दिष्ट प्रारूप पत्र में आवेदन देगा और प्रभागीय वन अधिकारी अभिवहन पास जारी करने या ऐसा पास जारी करने हेतु प्राधिकृत करने से पूर्व ऐसी जांच करेगा जिसे वह आवश्यक समझे;

(दो) ऐसे प्राधिकृत किये जाने में वह अवधि विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसके दौरान यह प्रवृत्त रहेगा, और प्रयोग किये जाने वाले मार्ग और चेक चैकी या डिपो जिससे होकर उपज गुजरेगी भी विनिर्दिष्ट किया जायेगा, और

(तीन) किसी प्राधिकार में किसी समय, प्रभागीय वन अधिकारी या वन संरक्षक द्वारा कोई परिवर्तन(अनुरोध करने पर या अन्यथा) किया जा सकता है। या उसे निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभिवहन पास जारी करने के लिए या किसी व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने के लिए प्राधिकृत करने वाला सक्षम अधिकारी पास जारी करने या पास जारी करने का प्राधिकार देने से इन्कार कर सकता है।

(3) नियम 4 का उपनियम(1)के खण्ड(ख) और नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन दिए गए आदेश के विरूद्व अपील अगले उच्च अधिकारी को (यदि आदेश प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वन संरक्षक को और यदि आदेश वन संरक्षक द्वारा दिया गया हो तो वन संरक्षक को) की जायेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विभिन्न वर्ग के पास के लिए देय फीस

5. नियम 15 के अधीन स्थापित और नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक (दो) के अधीन विनिर्दिष्ट जांच चैकी या डिपो पर वन उपज और पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय प्रति) नियम 0 के उपनियम (4) के अधीन परीक्षण के लिए और वन उपज पर सरकार द्वारा निम्नवत् दर पर संगणित अभिवहन पास फीस का भुगतान करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी। अनुसूची ''ग'' में दिये गये प्रपत्र में तदनुरूप रसीद दी जायेगीः-

(एक)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी प्रति लारी	रू0 50 प्रति टन
(दो)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी	रू0 25 प्रति गाड़ी
(तीन)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊंट	रू0 12.50 प्रति ऊंट
(चार)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा टट्टू	रू0 5 प्रति टट्टू
(पांच)	इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	रू0 2.50 प्रति

टिप्पणीः-

लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध में सुसंगत

अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

पास की अन्तर्वस्तु

6. (1) प्रत्येक अभिवहन पास **अनुसूची 'क'** में दिये गये प्रारूप में होगा।

(2) प्रत्येक पास का रंग और आकार ऐसा होगा, जैसा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा चिहित किया जाय।

(3) (एक) ऐसा पास देवनागरी लिपि में हिन्दी में होगाः

(दो) अभिवहन पास तीन प्रतियों में होगा और बंधी हुई पुस्तिका के रूप में होगा, जो प्रभागीय वन अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। प्रत्येक पुस्तिका में एक पहचान संख्या होगी और प्रत्येक पुस्तिका में पास संख्याकित किए जायेंगे।

(4) तीन प्रतियों में पास के प्रपत्र की प्रथम प्रति प्रतिपर्ण होगी और उसका दूसरा और तीसरा भाग अभिवहन की जाने वाली उपज के प्रभारी व्यक्ति को दिया जायेगा और जब कभी किसी जांच अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय, उसे प्रस्तुत किया जायेगा। तीसरा भाग वन उपज की जांच करने वाले प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा, जो दूसरे भाग पर हस्ताक्षर करेगा और पर यह उल्लिखित करेगा कि उसने तीसरा भाग रख लिया है।

प्रत्येक बोझ के लिए पृथक-पृथक पास

7. कोई भी अभिवहन पास सामान्यतः एक से अधिक बोझ के लिए नही होगा चाहे ऐसा वजन किसी व्यक्ति, पशु या वाहन से ही क्यों न ढोया जा रहा हो। विशेष परिस्थितियों में प्रभागीय वन अधिकारी अपवाद स्वरूप इस सम्बन्ध में स्वविवेकानुसार छूट दे सकते है।

पास में अन्तः क्षेपन नहीं किया जायेगा

8. किसी अभिवहन पास पर मुद्रित या लिखित किसी बात में मार्ग और अवधि के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा और यह परिवर्तन पास में अंकित किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से वन क्षेत्राधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।

सादे पास की पुस्तिका उन व्यक्तियों को दी जायेगी, जिन्हें जारी करने का प्राधिकार हो

9. (1) जब प्रभागीय वन अधिकारी, अभिवहन पास जारी करने के लिए नियम-4 के उपनियम(1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को प्राधिकारी दें, तक वह ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर सादे पास की अधिप्रमाणिकृत पुस्तिका देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो पास जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसके

प्रधिकृत किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट शर्तो के सिवाय अन्य प्रकार से, अभिवहन पास जारी नहीं करेंगा।

(3) ऐसा व्यक्ति जारी किए गए किसी अभिवहन पास के लिए कोई फीस नहीं लेगा।

प्रयुक्त अभिवहन पास का प्रतिपर्ण वापस किया जाना

10. समस्त प्रयुक्त अभिवहन पास के प्रतिपर्ण उस अधिकारी को, जिससे पास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, वापस कर दिए जायेंगे। कोई नया पास और कोई अभिवहन पुस्तिका, तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि पहले से प्रयुक्त समस्त पास के प्रतिपर्ण वापस न कर दिए गए हो।

मांगने पर प्रतिपर्ण निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा

11. कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति या अभिकर्ता, जिसे नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड(ख) के अधीन अभिवहन पास जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो, ऐसे समस्त पास के प्रतिपर्णो को, जो ऐसे व्यक्ति या अभिकर्ता द्वारा जारी किए गए हों, किसी वन क्षेत्राधिकारी से अनिम्न द्वारा अपेक्षा करने का निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने या उन्हें वापस करने के लिए बाध्य होगा।

पास जारी करने का प्राधिकार रद्व करने या समाप्त होने पर प्रक्रिया

12. नियम 4 के उपनियम(1) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए किसी प्राधिकार को उक्त खण्ड के अधीन किसी समय रद्द किए जाने की दशा में या ऐसे प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्त पर, ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकार इस प्रकार रद किया जाय या ऐसा व्यक्ति जिसे प्राधिकार की अवधि प्रकार समाप्त हो जाय, जैसी भी स्थिति हो, उस अधिकारी को, जिसने प्राधिकार प्रदान किया हो, अभिवहन पास की सभी अप्रयुक्त पुस्तिका और ऐसी पुस्तिका के अप्रयुक्त भाग, जो उसके पास हो, अप्रयुक्त पास के प्रतिपर्णो को, यदि कोई हो, जिसे उसने पहले वापस न किया हो, तुरन्त वापस करेगा और तद्दपरान्त उक्त व्यक्ति अभिवहन पास की ऐसी प्रत्येक अप्रयुक्त पुस्तिका के सम्बन्ध में संदत्त धनराशि वापस पाने का हकदार होगा, किन्तु किसी अंशतः प्रयुक्त पुस्तिका के सम्बन्ध में कोई धनराशि वापस करने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे

13. अभिवहन पास जारी करने के लिए नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया अभिवहन पास विधिमान्य नहीं होगा, यदि-

(क) ऐसा पास नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन इन प्रयोजनों के लिए दिए गए सादे प्रपत्र से तैयार न किया जायय या

(ख) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसा पास जारी करने के प्राधिकार को रद करने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात जारी किया जायय या

(ग) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे पास को जारी करने के लिए दिए गए प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात जारी किया जाय।

इमारती लकड़ी पर सम्पत्ति संबंधी और अभिवहन चिन्ह का लगाया जाना

14. उस स्थिति के सिवाय '' जब वह सरकारी सम्पत्ति हो, विनिर्दिष्ट जांच चैकी या डिपो पर लाई गई समस्त इमारती लकड़ी का परीक्षण किया जायेगा और स पर सरकारी हथौड़े से चिन्ह (जिसकी अनुकत्ति सम्बन्धित पास पर मुद्रित होगी) लगाया जायेगा। हथौड़े से लगाए जाने वाले ऐसे चिन्ह डिजाइन समय-समय पर वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारीव द्वारा विहित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि वन संरक्षक या प्रभागीय वनाधिकारी ऐसा निर्देश दें, तो ऐसे प्रकार की इमारती लकड़ी के, जो सर्किल के वन संरक्षक या प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत की गई हो, स्वामी का सुभिन्न निजी सम्पत्ति चिन्ह भी लगाया जायेगा।

डिपो और उनका प्रयोजन

15. वन संरक्षक, ऐसे स्थानों पर जहाँ वह उचित समझे, डिपो स्थापित कर सकता है, जहाँ पर वन उपज:-

(क) सद्भाव से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परीक्षण या अनुवर्ती जाँच करने के लिए; या

(ख) राज्य सरकार को उसके निमित्त देय धनराशि का अवधारण करने और इस प्रकार देय पाई गई किसी धनराशि का भुगतान करने के लिए; या

(ग) इस उद्देश्य से कि यदि विधि द्वारा या इस नियमावली द्वारा उस पर कोई चिन्ह लगाया जाना अपेक्षित हो, तो उसको इस प्रकार लगाया जा सकेगा।

डिपो की स्थिति का प्रकाशित किया जाना

16. वन संरक्षक, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा और स्थानीय तौर पर ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, अपने वृत्त में ऐसे डिपो का नाम और उसकी स्थिति की जानकारी करायेगा।

डिपो किसी अधिकारी के

17. प्रत्येक डिपो प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश के द्वारा या अधीन नियुक्त

प्रभार में होगा

किसी अधिकारी के प्रभाग में होगा। किसी वन उपज का डिपो के प्रभारी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना डिपो में न तो संग्रह किया जायेगा और न वहाँ से हटाया जायेगा ।

सम्पत्ति चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण की फीस

18. (1) कोई व्यक्ति अपनी इमारती लकड़ी पर लगाये जाने वाले सम्पत्ति चिन्ह का, उस प्रभाग के जहाँ से वह इस नियमावली के अधीन अपनी इमारती लकड़ी का परिवहन करना चाहता है, प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक सम्पत्ति चिन्ह में ऐसी युक्ति होगी, जिसे प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अपने प्रभाग के लिए अनुमोदित किया जायेगा, परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति नही दी जायेगी, जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से रजिस्ट्रीकृत या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह के समान हो या जिससे ऐसा चिन्ह होने की भ्रान्ति हो सके। वह विवाद होने की स्थिति में कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तावित चिन्ह का पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सम्पत्ति चिन्ह से बहुत अधिक सदृश्य है या नही, वन संरक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए सरकार द्वारा रू0 200 प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से फीस ली जायेगी। फीस के भुगतान के सम्बन्ध में एक रसीद अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र में दी जायेगी।

(4) प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो अपना चिन्ह रजिस्ट्रीकृत कराए, राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जिसमें युक्ति का उल्लेख होगा। रजिस्ट्रीकरण आगामी 30 सितम्बर तक विधिमान्य रहेगा।

वन-उपज को दिन में हटाया जायेगा

19. प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा के सिवाय किसी वन उपज का परिवहन सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच नहीं किया जायेगा। इस प्रकार अनुज्ञात परिवहन के लिए नियम 5 में विहित दर से दुगुनी दर पर फीस ली जायेगी।

विदेशी पास

20. उत्तराखण्ड राज्य में, आयातित समस्त वन उपज के सम्बन्ध में इस नियमावली के अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 16 वर्ष 1927) की धारा 40-क के अधीन संघ सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अनुसरण किया जायेगा और वे नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत होंगे और इमारती लकड़ी की स्थिति में उन पर

नियम 23 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी सम्पत्ति चिन्ह होगा।

विदेशी प्रवेश प्रपत्र आदि का रजिस्ट्रीकरण वन संरक्षक के कार्यालय में वापस होना चाहिए

21. प्रत्यके विदेशी पास, ऐसे प्रपत्र में अवश्यक होना चाहिए, जो उस वृत्त के, जिसमें विदेशी पास के अधीन वन उपज आयात किया जाना हो, वन संरक्षक के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो और उस पर ऐसे पदधारी का हस्ताक्षर होगा, जिसका पदनाम उक्त वन संरक्षक के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो और प्रत्येक विदेशी सम्पत्ति चिन्ह उस प्रकार का होना चाहिए, जो उक्त कार्यालय में नियम 23 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। सम्बन्धित वृत्त के वन संरक्षक के कार्यालय में विदेशी पास का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए आवेदन करते समय सम्बद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उत्तराखण्ड राज्य में वांछित वन उपज का निर्यात करने पर कोई आपत्ति नही है और सम्बद्व पक्ष में सक्षम प्राधिकारी को उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्क का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया हैः

परन्तु यह कि पड़ोसी राज्य सरकारों के अनुरोध पर, ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा, जिनके हस्ताक्षर उस प्रभागीय वन अधिकारी के, जिसके प्रभाग में उपज को ले जाया जाय, कार्यालय में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत है, हस्ताक्षरित पास की अनुमति दी जा सकेगीः

परन्तु यह और कि ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त पास पर उक्त अधिकारी की शासकीय मुहर लगी होनी चाहिए, जिसे राज्य सरकार के ठेकेदारों को पास पुस्तिका जारी करने के लिए प्राधिकार दिया हो।

आयातित वन उपज का परिवहन नियम 4 के अधीन पास के बिना प्रथम डिपो को किया जा सकता है

22. उत्तराखण्ड राज्य में आयातित किसी वन उपज का परिवहन, नियम 4 के अधीन जारी किए गए पास के बिना, उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के भीतर नियम 15 के अधीन स्थापित निकटतम प्रथम डिपो तक किया जा सकता है, यदि वह नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत आता हो और यदि ऐसी सीमा और ऐसे डिपो के बीच किसी स्थान पर उसका ढेर लगाया जा रहा हो या उसे जमा किया गया हो तो विदेशी पास, जिसके अन्तर्गत पदार्थ आता है, उस डिपों पर तुरन्त दे दिया जायेगा।

विदेशी पास के प्रपत्रों या विदेशी सम्पित्त चिन्हों

23. वन संरक्षक, नियम 21 के प्रयोजनार्थ किसी विदेशी प्रपत्र या चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उसकी अधिप्रमाणिकता

में रजिस्ट्रीकरण

के सम्बन्ध में जाँच कर सकता है और यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वह आवेदक द्वारा रू0 5000 प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से रजिस्ट्रेशन फीस की धनराशि देने पर अपने कार्यालय में ऐसे प्रपत्र में चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा, सिवाय विदेशी सरकारों के प्रपत्रों और चिन्हों की स्थिति में, जिनका रजिस्ट्रीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि उनका उपान्तरण या निरसन नये प्रपत्रों या चिन्हों द्वारा न कर दिया जाय।

सरकारी चिन्ह की न तो अनुकृति की जायेगी और न उसे मिटाया जायेगा

24. ऐसे प्रभागीय वन अधिकारी से, जिनका कर्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है, भिन्न कोई व्यक्ति इमारती लकड़ी के लिए ऐसे किसी सम्पत्ति चिन्ह का उपयोग नही करेगा, जो किसी सरकारी अभिवहन चिन्ह या ऐसे किसी चिन्ह के जिससे सरकारी इमारती लकड़ी चिन्हित की जाय, समान हो या लगभग उसके सदृश हो और जब कोई इमारती लकड़ी नियम 4 के उपनियम (1) कि खण्ड (ख) के अधीन इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता के कारण जारी किए गए पास से अभिवहन में हो, तब कोई व्यक्ति उस पर किसी चिन्ह में न तो परिवर्तन करेगा और न उसे मिटायेगा।

अभिवहन में भी वन उपज को कतिपय अधिकारी द्वारा रोका जा सकेगा और उसकी जाँच की जा सकेगी

25. (1) अभिवहन में किसी वन उपज को, जिस पर यह नियमावली लागू होती है और ऐसी वन उपज को ले जाने वाले किसी व्यक्ति, पशु, गाड़ी, जलयान या यान को, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी वन रक्षक, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा, जो वन रक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर या कानूनगो के पद से निम्न पद का न हो, किसी स्थान पर रोका जा सकता है, निरूद्व किया जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है और उनकी जाँच की जा सकती है। यदि ऐसे अधिकारी को यह सन्देह करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उसके सम्बन्ध में सरकार को देय, किसी धनराशि का भुगतान नही किया गया है या कि उसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अधिकारी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से ऐसी किसी वन उपज को, जो विधि पूर्वक अभिवहन में हो, न तो निरूद्व करेगा और न तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी ऐसी वन उपज को उतारेगा और न उसे उतरायेगा।

(2) ऐसी वन उपज का प्रभारी व्यक्ति, वन उपज के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उसको प्रस्तुत करेगा और यदि अभिवहन पास से उसका परिवहन कर रहा हो तो वह निरीक्षण के लिए माँगने पर ऐसे पास को ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा उक्त वन उपज को रोकने या उसका परीक्षण करने का किसी भी प्रकार से निवारण या प्रतिरोध नही करेगा।

इमारती लकड़ी के परिवर्तन का प्रतिषेध

26. वन विभाग के प्रभार के अधीन किसी आरक्षित, संरिक्षत या अवर्गीकृत वन की सीमा में, और-

(एक) ऐसी सीमा के आठ किमी0 के भीतर कोई व्यक्ति प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न वन अधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना इमारती लकड़ी को काटने, संपरिवर्तित करने या गढ़ने या लकड़ी का कोयला बनाने के लिए चिराई मशीन के लिए गड्ढ़ा नहीं बनायेगा और

(दो) ऐसी सीमा से पचास किी0 के भीतर कोई व्यक्ति प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना, जो ऐसी अनुज्ञा देते समय सरकार के हित की रक्षा के लिए, उपयुक्त शर्ते आरोपित कर सकता है। इमारती लकड़ी को काटने, संपरिवर्तित करने और गढ़ने के लिए कोई मशीनरी या अन्य संयंत्र नही लगायेगा;

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन चिन्हित प्रकार और सीमा के भीतर पहले से ही स्थापित मशीनरी या अन्य संयंत्र की स्थिति में, स्वामी को प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी वन अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जो अनुज्ञा देते समय सरकार के हित की रक्षा के लिए उपयुक्त शर्ते आरोपित कर सकता है।

स्पष्टीकरण-

1- यह नियम घरेलू बढ़ईगीरी या लघु पैमाने पर अन्य तत्सद्दश कार्य के सामानय संचालन पर लागू नहीं होगा।

2- इस नियम में वर्तमान वन में, ऐसे वृक्ष सम्मिलित नही होंगे, जो सड़कों, नहरों और रेल मार्गो के दोनो और स्थित हों।

स्थानीय क्षेत्रों को प्रकाशित किया जाना जिन पर नियमावली लागू नहीं होती

27. राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी स्थानीय क्षेत्र को इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

नियमों के उंल्ल हेतु

28. **(1)** कोई व्यक्ति, जो इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उंल्ल करता है,

शास्ति

ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से जो रू0 10000 तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उस मामलों में, जिनमें अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात किया गया है या जहाँ अपराधी उसी प्रकार के पश्चात के लिए पहले भी सिद्वदोष हो चुका है, वहां आरोपित की जाने वाली शास्ति उपनियम **(1)** में वर्णित शास्ति के रूप में कारावास की अवधि **2** वर्ष या जुर्माना जो रू 50000 तक का हो सकेगा किन्तु जो रू0 10000 के कम का न होगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय-तीन

<u>जलमार्ग से इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन</u>

पास के बिना इमारती लकड़ी को बेड़ा बनाने और प्रवाहित करने पर प्रतिबंध {अधिनियम की धारा 41(2) (ख) और 41(2) (ग)}

26. (1) कोई व्यक्ति उस वन प्रभाग के जिसमें कोई नदी हो, प्रभागीय वन अधिकारी से या ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करें, अभिवहन पास प्राप्त किये बिना किसी नदी में इमारती लकड़ी का न तो बेड़ा बनायेगा और न उसे प्रवाहित करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे पास के आधार पर, जो उसके नाम से नही है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, इमारती लकड़ी या बेड़ा बनाने या उसको प्रवाहित करने का हकदार नही होगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अभिवहन पास देवनागरी लिपि में हिन्दी में होगा और इस नियमावली के अनुसूची 'क' में दिये गये प्रपत्र में होगा और प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा पास में स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर कर मुहर लगाई जायेगी।

पास जारी किये जाने पर प्रतिबन्ध [अधिनियम की धारा 41(2)(ख)]

30. कोई पास किसी अचिन्हित इमारती लकड़ी के लिए या ऐसी इमारती लकड़ी के लिए नही दिया जायेगा, जिस पर अंकित चिन्ह रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है।

फीस का उद्ग्रहण [अधिनियम की धारा (2) (ग)]

31. (1) ऐसी नदियों से और ऐसे स्थानों में, जहाँ वन संरक्षक समय-समय पर इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने या प्रवाहित करने के लिए निर्देश दें, पास जारी करने के लिए इमारती लकड़ी के प्रत्येक लट्ठे या टुकड़े के लिए सरकार द्वारा निम्नवत दर से धनराशि वसूली जा सकती हैः-

(एक) एक मीटर तक	रू0 5/-
(दो) एक मीटर से अधिक और दो मीटर तक	रू0 10/-
(तीन) दो मीटर से अधिक और 3 मीटर तक	

(चार) तीन मीटर से अधिक रू0 15/-

रू0 20/-

(2) फीस का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस नियमावली की अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र में एक रसीद दी जाएगी।

इमारती लकड़ी आदि का संग्रह {अधिनियम की धारा 41 (2) (ख)}

32. कोई व्यक्ति, जिसने अपनी इमारती लकड़ी को किसी नदी की धारा में डाला या बहाया हैं, उसे निम्नलिखित के सिवाय संग्रहीत नहीं करेगा-

(क) उस वन प्रभाग के, जिसका सम्बन्धित नदी पर नियंत्रण हो, प्रभावी प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा सिवाय;

(ख) ऐसे स्थानों के सिवाय, जिन्हें ऐसा अधिकारी संग्रह डिपो अधिसूचित करें, उसका संग्रह नहीं करेगा)

निरीक्षण करने की शक्ति {अधिनियम की धारा 41 (3)(ग)}

32. (1) वन आरक्षि के पद से अनिम्न कोई वन अधिकारी/पदाधिकारी या सब-इन्सपेक्टर के पद से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी या कानूनगो के पद से अनिम्न कोई राजस्व अधिकारी, यथाउपर्युक्त इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने या उसको प्रवाहित करने वाले किसी व्यक्ति से किसी समय निरीक्षण के लिए अभिवहन पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में, जिसका बेड़ा बनाया जा रहा हो या जो प्रवाहित की जा रही हो, पास प्रस्तुत न किए जाने या पास न होने की दशा में उक्त वन अधिकारी/पदाधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी/ राजस्व अधिकारी इमारती लकड़ी को निरूद्व करेगा और मामले की सूचना प्रभागीय वन अधिकारी वन अधिकारी को देगा।

नदी के किनारे इमारती लकड़ी जमा करने पर प्रतिबन्ध

34. किसी व्यक्ति को, नदी इमारती लकड़ी जमा करने की अनुमति पास के बिना, जल के किनारे के इतने सन्निकट कि पास जारी किये जाने से पूर्व नदी में पानी के उफान के द्वारा उसके बह जाने का खतरा हो, नहीं दी जायेगी।

चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण {अधिनियम की धारा 41 (2)}

35. (1) सभी व्यक्ति जो इमारती लकड़ी का अभिवहन किसी नदी में बहाकर या अन्यथा करना चाहते है, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय में चिन्ह या चिन्हों, को रजिस्ट्रीकृत करायेगा जिनसे ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में उसके साम्पत्तिक अधिकार स्पष्ट हो सके।

(2) किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराया जा चुका है या सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है, रजिस्ट्रीकृत कराने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी।

(3) प्रभागीय वनाधिकारी किसी ऐसे चिन्ह, जो उसके विचार में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराये गये चिन्ह या सरकार द्वारा प्रयोग में लाये गये चिन्ह के कार्फी सन्निकट है या जिसकी ऐसे रजिस्ट्रीकृत या सरकारी चिन्ह के रूप में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, को रजिस्ट्रीकृत करने से अस्वीकृत कर सकता है।

चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस (अधिनियम की धारा 41(2) (ठ))

36.(1) प्रत्येक चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिए रू0 1000 प्रति चिन्ह प्रति रजिस्ट्रीकरण की दर से फीस देय होगी।

(2) फीस का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस नियमावली की अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र में एक रसीद दी जायेगी।

रजिस्ट्रीकरण चिन्हों की वैधता की अवधि (अधिनियम की धारा 41(2)(ञ))

37. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिन्ह रजिस्ट्रीकरण की तिथि के अनुवती जनवरी माह की प्रथम तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगी।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

38. किसी चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रीकृत चिन्ह रजिस्ट्रीकरण की तिथि और कालावधि जिसके लिए यह वैध रहेगा, को विनिर्दिष्ट करते हुए, एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

घोषित क्षेत्रों में कतिपय कार्यो पर प्रतिवैध (अधिनियम की धारा 42(2) (झ))

39. (1) किसी ऐसे क्षेत्र की मांग में, जो धारा 45 के अधीन इस प्रकार घोषित की जाय, प्रभागीय वनाधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाय इमारती लकड़ी को स्थानान्तरित करना, संपरिवर्तन करना, काटना, जलाना, छिपाना या चिहन लगाना, उस पर लगे किसी चिन्ह को बदलना या मिटाना और चिहन लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना प्रतिसिद्व होगा।

(2) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी जाय तो उसमें यह स्थान विनिर्दिष्ट

किया जाएगा, या जहाँ पर वह प्रभावी होगी और उसमें, यथास्थिति, इमारती लकड़ी के पूर्व निरीक्षण या अन्य बात के सम्बन्ध में अन्य शर्ते दी जा सकती है।

शस्ति (अधिनियम की धारा **42)**

40. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय में दिये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी एक प्रकार की कारावास की, ऐसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से, जो रू0 10,000 तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) द्वितीय या अनुवर्ती अपराध किये जाने की स्थिति में या ऐसी स्थिति में, जहाँ अपराध सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात किया जाता है, तो कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक या जुर्माना रू0 50,000 तक परन्तु जो रू0 10000 से कम न हो या दोनो से दण्डनीय होगा।

अध्याय-चार

<u>बहती और अटकी हुई इमारती लकड़ी का संग्रहण</u>

क्षेत्रों की घोषणा (धारा 45)

41. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 45 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र निम्नवत होंगे-

(क) सम्पूर्ण जौनसार भावर परगना;

(ख) उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र में यमुना और इसकी सहायक नदियों, जिसके अन्तर्गत यमुना की मुख्य धारा, जाड़े की ऋतु में इसकी धारा के जल स्तर के अनुसार, किसी भी किनारे से 8 किमी0 का सीधा क्षेत्र भी सम्मिलित है;

(ग) उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र में गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, जिसके अन्तर्गत गंगा की मुख्य धारा, जाड़े की ऋतु में इसकी धारा के जल स्तर के अनुसार, किसी भी किनारे से 8 किमी0 का सीधा क्षेत्र भी सम्मिलित है;

(घ) उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र में राम गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, जिसके अन्तर्गत राम गंगा की मुख्य धारा, जाड़े की ऋतु में इसकी धारा के जल स्तर के अनुसार, किसी भी किनारे से 8 किमी0 का सीधा क्षेत्र भी सम्मिलित है;

(ड) उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र में शारदा (काली) और इसकी सहायक नदियाँ, जिसके अन्तर्गत शारदा(काली) की मुख्य धारा, जाड़े की ऋतु में इसकी जल धारा के अनुसार, दांये किनारे से 8 किमी0 का सीधा क्षेत्र भी

सम्मिलित है;

(च) उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले भावर तथा तराई के क्षेत्र।

उद्धारण आदि पर निर्वन्धन (अधिनियम की धारा 45(2) और धारा 51)

42. कोई व्यक्ति, जब तक कि ऐसे प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा, जिसका सम्बन्धित नदी पर नियन्त्रण हो, लिखित रूप में विशेषतः प्राधिकृत न किया जाय। इस नियमावली के नियम 41 के अधीन घोषित उपर्युक्त क्षेत्र उपर्युक्त क्षेत्रों में चिन्हित अनपढ़े टुकड़े से भिन्न किसी भी प्रकार का काष्ठ या इमारती लकड़ी की लम्बाई में 180 सेमी0 और परिधि (गर्थ) में 60 सेमी0 से अधिक न हो, उद्धारण नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत चिन्हों वाली इमारती लकड़ी का उद्धारण और संग्रहण करने की अनुमति (अधिनियम की धारा 45(2) और धारा 51)

43. (1) प्रभागीय वन अधिकारी, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 के अधीन और इस नियमावली के अनुसार रजिस्ट्रीकृत चिन्ह वाली ऐसी समस्त इमारती लकड़ी के, जो बाढ़ या अन्य कारण से वह जाय या अटक जा, स्वामी या स्वामियों को, ऐसी इमारती लकड़ी का उद्धारण पर संग्रह करने की लिखित अनुज्ञा दे सकता है या प्रदान कर सकता, जिसमें व्यतिक्रम होने पर प्रभागीय वन अधिकारी स्वंय उसका संग्रहण कर सकेगा या किसी स्थान या स्थानों पर उसका उद्धारण और संग्रहण करने के लिए किसी तृतीय पक्षकार से आपसी सहमति से तय दर पर संविदा कर सकेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से संग्रहीत की गयी इमारती लकड़ी, ऐसे देयों, जो प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे, का भुगतान किये जाने पर, स्वामी या स्वामियों को सुपुर्द कर दी जायेगी।

अरजिस्ट्रीकृत चिहन से चिन्हित इमारती लकड़ी का उद्धारण और संग्रह करने की अनुज्ञा(अधिनियम की धारा 42(2) और धारा 51)

44. प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित लिखित रूप में अधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसी इमारती लकड़ी का, जिस पर ऐसे चिहन लगे है, में इस नियमावली के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिस पर चिहन को अग्नि द्वारा या अन्यथा मिटायें, बदले या बिगाड़े गए है और गढ़ी हुई इमारती लकड़ी के जिस पर कोई चिहन नहीं लगे हैं, उद्धारण और संग्रह कर सकता है।

स्वामी को इमारती लकड़ी का परिदान करने की शर्त (अधिनियम की धारा 45(2)

45 (1) ऐसी कोई इमारती लकड़ी, किसी दावेदार को, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 47 के अधीन स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तब तक परिदत नहीं की जायेगी जब तक कि उसने प्रभागीय वन अधिकारी को,

और धारा 51]

उसके मूल्य का, जैसा उस अधिकारी द्वारा निर्णीत किया है, 25 प्रतिशत से अनधिक धनराशि और ऐसा ऐसा अन्य व्यय, जो उक्त इमारती लकड़ी के उद्धारण में हुआ हो, न दे दिया हो।

(2) यदि मान्यता प्राप्त स्वामी प्रभागीय वन अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर उसका भुगतान करने में विफल रहता है तो उद्धारण की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावा न की गई इमारती लकड़ी के परिदान में कार्यवाही की जायेगी।

(3) इस नियमावली के अधीन उद्धारण की गई समस्त इमारती लकड़ी, जो सरकार मे निहित हो सकती हो, उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन दावे के निस्तारण के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से दो मास पश्चात, सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए व्यय किया जा सकता है।

गैर तराशी लकड़ी या इमारती लकड़ी का विक्रय करने की शक्ति [अधिनियम की धारा 51 (1) (क)]

46. सब गैर तराशी लकड़ी या इमारती लकड़ी, जिस पर कोई चिहन नहीं है, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उस स्थान पर, जहाँ से संग्रहीत किया गया है, का विक्रय किसी भी समय किया जा सकेगा या जब उसके विचार में इसे डिपो पर लाये जाने पर वह पर्याप्त रूप से मूल्यम नहीं रह जायेगी, उसका संग्रहण करने या निस्तारण करने के अधिकार का पट्टा किया जा सकेगा।

विक्रीत इमारती लकड़ी का चिन्हित किया जाना [अधिनियम की धारा धारा 52(1)(क)]

47. (1) ऐसे समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर, जब उसे नियम 46 के अधीन, वन विभाग द्वारा बेचा जाय, विभागीय विक्रय चिहन लगाया जायेगा।

(2) ऐसे समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर, जब उसका नियम 45 की उपधारा (1) के अधीन अवत्याग कर दिया जाय, उपयुक्त सुभिन्न चिहन लगाया जायेगा। नियम 41 के अधीन घोषित क्षेत्र से किसी काष्ठ या इमारती लकड़ी को हटाने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी से एक मुद्रित है और संख्यांकित पास अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जिस पर काष्ठ और इमारती लकड़ी के टुकड़ों की संख्या और उनका और केता या दावेदार से वसूल की गई धनराशि विनिर्दिष्ट हो।

इस अध्याय के अधीन शास्ति [अधिनियम की धारा 51(2)]

48. कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अन्तर्गत दिये किसी उपबन्ध का उंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक होगी या जुर्माने से जिसकी रकम रू0 दस हजार तक होगी या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

निस्सन और अपवाद

सामान्य

49. इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर, इनके तद्नुरूप समस्त नियम, जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के किसी सम्भाग में प्रवृत्त हो, निरसित हो जायेंगे:

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित किसी नियम के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही को, जब तक ऐसा कार्य या कार्यवाही, इस नियमावली के किसी उपबन्ध से असंगत न हो, इस नियमावली के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पत्रावली संख्या 21(13)/2011
वन एवं पर्यावरण विभाग।

अनुसूची 'क'
(नियम 3 के अधीन)
प्रतिपर्ण

पुस्तिका संख्या **अभिवहन पास** **पृष्ठ संख्या**

1. उत्पत्ति स्थल:-

(1) वन का नाम और स्थिति

(2) वन स्वामी का नाम

2. वन उपज के स्वामी का नाम और पता

3. उपज का विवरण और परिमाण

4. सम्पत्ति चिहन आदि

5. ग्राम या नगर का नाम, जहाँ उपज का अभिवहन किया जाना है।

6. मार्ग का नाम जिससे उपज का अभिवहन किया जायेगा।

7. डिपो, जहाँ वन उपज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

8. पास के समाप्त होने की तिथि।

9. कोई अन्य विशिष्टि

10. पास जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व मुहर एवं तिथि

11. निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची 'ख'

(नियम 4 का उपनियम (1) का खण्ड (एक) देखिए)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. पूरा पता.....
4. भूमि का विवरण, जहाँ से उपज लायी जायेगी। (क्षेत्रफल दिया जायेगा और जोत की स्थिति में खसरा संख्या दिया जायेगा और खसरा एवं खतौनी का सुसंगत उद्धरण संलग्न किया जायेगा।)
5. वृक्ष का विवरण जिससे उपज लायी जानी है।

व्यास श्रेणी अनुसार वृक्षों की संख्या

प्रजाति	**0-10 सेमी**	**10-20 सेमी**	**20-30 सेमी**	**30-40 सेमी**	**40-50 सेमी**	**50-60 सेमी**	**60-70 सेमी**	**70 से ऊपर**

6. वृक्ष को गिराने और हटाने के लिए अनुमति का विवरण, जिसमें वह अनुमति भी सम्मिलित होगी, जो उत्तराखण्ड वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित हो।
7. गन्तव्य स्थान, जहाँ वन उपज ले जायी जा रही है।

अवेदनकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक.....

अनुसूची 'ग'

(नियम 5, नियम 18 का उपनियम (3), नियम 31 का उपनियम (2) तथा नियम 36 का उपनियम (2) देखें)

रसीद का प्रारूप

वन विभाग.....वृत्त.....उत्तराखण्ड पुस्तिका संख्या.....रसीद संख्या.....प्रभाग.....20.....को.....मद.....

.में.....रू0.....की रकम.....से प्राप्त की गयी।

वन अधिकारी

दिनांक.....

.

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- / x-2-2014-21(13)/2011 देहरादूनः दिनांक: 18 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1927) की धारा 41, 42, 45, 51, 52 एवं 76 सपठित साधरण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः अर्थात:-

उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन (संशोधित) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन(संशोधन) नियमावली, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के नियम 5 के खण्ड (पांच) के पश्चात एक नया खण्ड (छः) परन्तुक सहित निम्नवत अतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात-

'(छ) वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री हेतु - रू0 15 प्रति टन

परन्तु यह कि वन क्षेत्र से एकत्र नदी तल सामग्री का अभिवहन शुल्क भुगतान करने के पश्चात वन क्षेत्र से बाहर उक्त सामग्री के भण्डारण से पुनः अभिवहन करने अथवा उक्त सामग्री से स्टोन कशर से निकलने वाले उत्पाद के पुनः वन क्षेत्र से बाहर अभिवहन पर दुबारा अभिवहन शुल्क अधिरोपित नही किया जायेगा।''

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/x-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ ही उक्त अधिसूचना को आगामी असधारण गजट में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 100 प्रतिया शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञ से,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संख्या /957(2)x-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ल
2. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-मा0 वन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
5. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव), उत्तराखण्ड देहरादून।
8. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, नैनीताल।
10. निदेशक, वन्य जीव संस्थान, भारत सरकार, चन्द्रबनी, देहरादून।
11. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य, उत्तराखण्ड।
13. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल।
14. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
17. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ नैनीताल।
18. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवाल, देहरादून।
19. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेण्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय को इस आशय से कि इस विज्ञप्ति को इलैक्ट्रिक मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित/प्रसारित करने का कष्ट करें।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव